

प्रेस सूचना ब्यूरो

भारत सरकार

राष्ट्रिय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की कटिबद्धता और आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने आज नौ व्यक्तियों को गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया

नई दिल्ली: 01 जुलाई 2020

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और सुदृढ़ नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसी व्यक्ति को आतंकवादी नामज़द करने के प्रावधान को शामिल करने के लिए अगस्त 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम 1967 में संशोधन किया था। इस संशोधन से पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन नामज़द किया जा सकता था।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पिछले साल संसद में गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम 1967 में संशोधन पर बहस के दौरान आतंकवाद की बुराई से मज़बूती से लड़ने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को जोरदार ढंग से व्यक्त करते हुए इससे निपटने के राष्ट्र के संकल्प को दोहराया था। उक्त संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में चार व्यक्तियों: मौलाना मसूद अजहर, हाफिज़ सईद, जाकि-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी नामज़द किया था।

राष्ट्रिय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की कटिबद्धता पर बल देते हुए और आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आज निम्नलिखित नौ व्यक्तियों को गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित के अनुसार) के तहत आतंकवादी घोषित कर उनका नाम उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में शामिल करने का फैसला किया है। इन व्यक्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. वाधवा सिंह बब्बर: पाकिस्तान में डेरा डाले आतंकवादी संगठन "बब्बर खालसा इंटरनेशनल" का प्रमुख
2. लखबीर सिंह: पाकिस्तान में डेरा डाले आतंकवादी संगठन "इंटरनेशनल सिख यूथ फ़ैडरेशन" का प्रमुख
3. रणजीत सिंह: पाकिस्तान में डेरा डाले आतंकवादी संगठन "खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स" का प्रमुख
4. परमजीत सिंह: पाकिस्तान में डेरा डाले आतंकवादी संगठन "खालिस्तान कमांडो फोर्स" का प्रमुख
5. भूपिंदर सिंह भिंडा: जर्मनी में रहने वाला आतंकवादी संगठन "खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स" का प्रमुख सदस्य
6. गुरमीत सिंह बग्गा: जर्मनी में रहने वाला आतंकवादी संगठन "खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स" का प्रमुख सदस्य
7. गुरपतवंत सिंह पन्तुन: अमरीका में रहने वाला गैरकानूनी संस्था "सिख फॉर जस्टिस" का प्रमुख सदस्य
8. हरदीप सिंह निज्जर: कनाडा में रहने वाला "खालिस्तान टाइगर फोर्स" का प्रमुख
9. परमजीत सिंह: यूनाइटेड किंगडम में रहने वाला आतंकवादी संगठन "बब्बर खालसा इंटरनेशनल" का प्रमुख

ये सभी व्यक्ति सीमा पार और विदेशी धरती से आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में शामिल हैं। ये अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और खालिस्तान मूवमेंट में शामिल हो तथा उसके समर्थन के जरिये पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर अपने घृणित कृत्यों से लगातार देश को अस्थिर करने का प्रयास कर चुके हैं।

एनडब्ल्यू/आरके/पीके/एडी/डीडी